62

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल
डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोनः– 0141–2705483 Mail ID –rajssa_plan@yahoo.co.in

कमांकः– रा.स्कू.शि.प. / जय / डाइस / 2021–22 / 18928 दिनांकः 8/2/2021

यू–डाइस (एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) परिपत्र

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 व पूर्व के वर्षों में क्लस्टर रिसोर्स सेन्टर के माध्यम से सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों से सम्बन्धित आंकडे यू–डाइस प्रपत्र में एकत्र किये जाकर ऑफलाईन सॉफ्टवेयर में जिले पर फिडिंग के माध्यम से नई दिल्ली भिजवाया जाता था। साथ ही किसी विद्यालयों को नवीन यू–डाइस कोड का आवंटन इसी ऑफलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता था।

सत्र् 2018–19 से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने एन.आई.सी. नई दिल्ली के माध्यम से यू–डाइस प्लस पोर्टल का निर्माण कर यू–डाइस डाटा संकलन का कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा पोर्टल के माध्यम से डाटा प्रविष्टि का कार्य ऑनलाईन करने के पश्चात् संस्था प्रधान द्वारा डाटा का प्रमाणीकरण किया जाता हैं। इसके पश्चात् ब्लॉक एवं जिला स्तर से डाटा का प्रमाणीकरण का कार्य सीबीईओ एवं सीडीईओ के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल पर किया जाता हैं। डाटा का पूर्ण रूप से प्रमाणीकरण होने के पश्चात् राज्य स्तर से समग्र शिक्ष हेतु नोडल एजेन्सी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को ऑनलाईन भिजवाया जाता है।

UDISE+ ने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आधिकारिक सांख्यिकी का दर्जा हासिल कर लिया है और अब यह देश के सभी जिलों में कार्यरत है। UDISE+ स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिए सूचना का एकमात्र स्त्रोत हैं।

वर्ष 2019–20 के यू–डाइस के डाटा को अन्तिम रूप से (Finalisation) पूर्ण किया जा चुका हैं। राज्य में कुल 302 ब्लॉक, 106240 विद्यालय, 744501 कार्यरत शिक्षक एवं 17937367 नामांकन प्राप्त हुआ हैं।

सभी विभागाध्यक्षो को सूचित किया जाता हैं कि गत् दो वर्षो से विद्यालयों को दिये गये डाइस कोड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ हैं। आपके द्वारा डाइस कोड का उपयोग करने से पूर्व इसकी पुष्टि अधिकारिक वेब साइट **https://udiseplus.gov.in/** पर की जा सकती हैं। भविष्य में संलग्न सूची एवं पोर्टल **https://udiseplus.gov.in/** पर दिये गये डाइस कोड का ही उपयोग किया जायें। प्रत्येक स्तर पर यू–डाइस प्लस पोर्टल पर उपलब्ध यू–डाइस का उपयोग किया जाये। PSP पोर्टल पर भी उक्त डाइस कोड ही मान्य होंगे जो **आर.टी.ई. पुनर्भरण** हेतु भी मान्य होंगे। विसंगति होने पर संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे।

(डॉ भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास (टीएडी)।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।

61

7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर।
9. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर।
10. उपायुक्त, जवाहर नवोदय विद्यालय, जयपुर।
11. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
13. सचिव, मदरसा बोर्ड, जयपुर।
14. समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
15. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर।
16. उपायुक्त, शाला दर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
17. उपायुक्त, पी.एस.पी. पोर्टल, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
18. समस्त जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान।
19. प्रभारी, शाला दर्पण, माध्यमिक निदेशालय, बीकानेर।
20. रक्षित प्रति।
21. नोडल अधिकारी, समग्र शिक्षा, शालादर्पण, PSP पोर्टल, RCScE, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बंधित पोर्टल पर upload करें।

5-2-24

अति.राज्य परि.निदेशक (प्रथम)